(1)

APP-A
Crim-I

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बांसवाड़ा

राजस्थान [illegible] जरिये [illegible] बांसवाड़ा बनाम चुन्नीलाल व प्रभुलाल [illegible] जिला बांसवाड़ा

मुकदमा धारा 88 आर.टी.एक्ट नं. 100/05 सन्

[illegible]	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.10.04	पत्रावली [illegible] रजिस्टर्ड होकर पेश हुई। [illegible] [illegible] [illegible] निवासी [illegible] ने वाद अंतर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट प्रतिवादीगण चुन्नीलाल व प्रभुलाल [illegible] [illegible] निवासी [illegible] के विरुद्ध पेश किया है [illegible]। प्रतिवादीगण के नाम सम्मन जारी हो। दिनांक [illegible] को पत्रावली पेश हो। 28.3.05 उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा (राज.)	
28.3.05	वकील वादी उपस्थित / प्रतिवादी को [illegible] तामील होकर नहीं लौटे [illegible] पत्रावली [illegible] तलबी जारी हो पत्रावली दिनांक 23-5-05 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बांसवाड़ा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2023.01.25 15:42:33 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7.12.22	पत्रावली पेश। उभयपक्ष अधिवक्ता उप०। पत्रावली वास्ते बहस/लिखित दिनांक 21.12.2022 को पेश हो।	
21-12-2022	पत्रावली पेश हुई वादी-प्रतिवादी वकील अनुपस्थित श्रीमान PO महोदय RPSC IInd ग्रेड परीक्षा केन्द्रों के भ्रमण व कानून व्यवस्था में व्यस्त होने से पत्रावली पूर्व प्रकार दिनांक 26-12-2022 को पेश हो।	
26-12-2022	पत्रावली पेश हुई वादी-प्रतिवादी वकील अनुपस्थित श्रीमान PO महोदय RPSC IInd grade परीक्षा केन्द्रों के भ्रमण व कानून व्यवस्था में व्यस्त होने से पत्रावली पूर्व प्रकार दिनांक 16-1-2023 को पेश हो।	
16.1.23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उप० आये। पत्रावली के अवलोकन व अध्ययन व विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की पूरी बहस उपरान्त वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली है तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली [illegible] से कम की जावे दाखिल रिकॉर्ड हो। निर्णय खुले इजलास में सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2023.01.25 16:42:33 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय बाइजलास प्रकाश चन्द्र रेगर (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा

प्रकरण संख्या– 100/2004 दायर दिनांक–11/10/2004

उनवान

1. बापुड़ा पिता स्व. श्री दीपा जाति भील
2. स्व. बलिया पुत्र श्री दीपा जाति भील
2/1. गौतम पुत्र स्व. बलिया जाति भील
2/2/1. श्रीमती केसर पत्नी स्व.श्री गौतम जाति भील
2/3. हरिश पिता स्व. बलिया जाति भील
2/4. श्रीमती चौखी पत्नी स्व. बलिया जाति भील
3. स्व. कालु पिता श्री दीपा जाति भील
3/1. दिनेश पिता स्व. कालु जाति भील
3/2. मुकेश पिता स्व. कालु जाति भील
3/3.श्रीमती गंगा पत्नी स्व. कालु जाति भील
4. कोयरी पत्नी पूंजिया जाति भील

समस्त उम्र वयस्क निवासीयान पीपलोद तह0बांसवाड़ा। **(वादीगण)**

बनाम

1. स्व.चुन्नीलाल पिता प्रभुलाल चौबिसा
2. स्व. भवानीशंकर पिता प्रभुलाल चौबिसा
3. स्व. विश्वनाथ पिता हैतलाल
4. स्व. गंगाशरण पिता हिम्मतराम जी
5. स्व. गौरीशंकर पिता आन्नदराम जी
6. स्व. रेवाशंकर पिता आन्नदराम जी

समस्त जाति ब्राहाम्ण निवासी बांसवाड़ा के वारिस

1–6/1. अमित व्यास पिता चन्द्रशेखर व्यास जाति ब्राहाम्ण निवासी औदिच्यवाड़ा बांसवाड़ा (राज.)

7. तहसीलदार बांसवाड़ा **(प्रतिवादी)**

उपस्थिति

1. श्री यशपाल गुप्ता — **अधिवक्ता वादी**
2. श्री राजकुमार जैन — **अधिवक्ता प्रतिवादीगण**

वाद अंतर्गत धारा– 88, आर.टी एक्ट

निर्णय दिनांकः–16.01.2023

संक्षेप में वादपत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी खाता सं. 39 नया 26 पुराना के खसरा नम्बर 221 रकबा 3–10 बीघा ग्राम पीपलोद पटवार मण्डल क्षेत्र लोधा में स्थित है। उक्त प्रश्नगत भूमि आराजी पर वादीगण के पिता दादा इत्या[illegible] समय से काश्त कर रहे है। लगान भी जमा करवा रहे है। उक्त आराजी खसरा [illegible] के [illegible] धारा [illegible] आर.टी.एक्ट में कार्यवाही हुयी। जिसमें प्रकरण सं. 184/61 में फरिकैन के मध्य आपसी [illegible] होने से वादीगण के पूर्वज पूंजिया वल्द माना को खातेदारी अधिकार प्रदत्त किये गये थे। उसके [illegible]रान्त भी राजस्व रिकार्ड में पुंजिया का नाम अंकित नहीं हुआ। जबकि वादीगण लगभग 50 वर्षो से काश्तरत है। प्रतिवादीगण के अधिकार धारा 63(4) में समाप्त हो चुके है। वादीगण प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी के पात्र है।

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2023.01.25 16:42:33 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद वादीगण स्वीकार फरमा उक्त प्रश्नगत आराजी के खातेदार, वादीगण को घोषित तथा राजस्व अभिलेख में अंकन की डिक्री फरमावें।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण के जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के सम्मन बाद तामिल नहीं लौटने पर रजि.एडी सम्मन तलबाना के आदेश दिये गये परन्तु वादी ने सम्मन समाचार–पत्र में प्रकाशित करने हेतु प्रार्थना–पत्र 09.12.2005 को पेश किया जिसे स्वीकार बाद प्रकाशन समाचार–पत्र की प्रति प्रस्तुत करने के आदेश हुये। दिनांक 16.01.2006 को अमित कुमार व्यास ने प्रार्थना पत्र बाबत् प्रतिवादीगणों की मृत्यु सूचना हेतु बिना दस्तावेजी साक्ष्य के प्रस्तुत किया जिस पर 23.02.2008 को अमित व्यास को पक्षकार बनाया गया । प्रतिवादी अमित व्यास ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रस्तुत किया।

पत्रावली पर निम्न तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्यवादी पर नियत की गयी ।

तनकी संख्या 1.

आया वादीगण खाता संख्या 39 नया 26 पुराना के खेत सर्वे नं. 221 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम पिपलोद पर वादीगण बापदादा के समय से काबिज होकर काश्त कर रहे है। व निम्नानुसार लगान अदा कर रहे है। (वादीगण)

तनकी संख्या 2.

"आया वादग्रस्त खेत संवत् 1998 में वादीगण शिकमी काश्तकार होकर काबिज रहे है। तथा धारा–20(1) आर.टी.एक्ट में प्रकरण सं. 184/61 में आपसी तसफीया से वादीगण 1 से 3 दादा व 4 के पिता पुंजिया को खातेदारी अधिकार प्रदत्त हुए किन्तु रैवेन्यु रेकार्ड में इन्द्राज नहीं हुआ। वादीगण बाप दादा के समय से 50 वर्षो से अधिक समय से काबिज होने के कारण खातेदार घोषित होने के पात्र है।" (वादीगण)

तनकी संख्या 3.

"आया प्रतिवादीगण के खातेदारी अधिकार धारा 63(4) आर.टी.एक्ट में समाप्त हो चुके है। व वादीगण प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है।" (वादीगण)

तनकी संख्या 4.

"वाद व्यवहार कारण वादीगण द्वारा जून 2004 पटवारी रिकार्ड देखने से उत्पन्न हुआ।" (वादीगण)

तनकी संख्या 5.

"आया सभी प्रतिवादीगण की मृत्यु दावा करने से पूर्व हो चुकी थी [illegible] नम्बर 1 से 6 के उत्तराधिकारियों को पक्षकार न बनाने से दावा काबिल खारिज है।" (प्रतिवादी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2023.01.25 15:42:33 IST
Reason: SelfAttested

तनकी संख्या 6.

"आया अमित कुमार का जन्म भवानीशंकर के जीवनकाल में नहीं हुआ है अतः बपौती जायदाद में उसके अधिकार उत्पन्न नही होने है। (प्रतिवादी)

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाडा (राज.)

साक्ष्यवादी के रूप में बापुड़ा पुत्र दीपा, चतरा पुत्र धनिया, कोयरी पत्नी रामा, दिनेश पुत्र कालु का शपथ–पत्र पेश हुये। जिरह बापुड़ा, कोयरी एवं दिनेंश से हो जाने पर साक्ष्यवादी बंद की जाकर प्रतिवादी साक्ष्य पर पत्रावली नियत की गयी। प्रतिवादी अमित व्यास का शपथ–पत्र पेश हुआ जो शामिल पत्रावली है।

वादी संख्या 02 व 03 तथा 2/1 की मृत्यु उपरान्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर उनके वारिसान को रिकार्ड पर लिया गया पत्रावली पर साक्ष्य प्रतिवादी बंद की जाकर अंतिम बहस सुनी गयी।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने वाद–पत्र के अभिवचनों को दोहराते हुए कथन किया कि नरू वल्द माना शिकमी काश्तकार था जो कि प्रदर्श–5 में अंकित है। प्रतिवादी ने हमारे तथ्यो का खण्डन नहीं किया है। हम विगत 50 वर्षो से काबिज काश्त है जिससे हमें खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। प्रदर्श–3 व 4 के अनुसार रेवाशंकर ने मुआवजा बाबत् पूंजिया वल्द माना के विरूद्व दावा किया था। अतः वाद वादीगण स्वीकार कर प्रश्नगत आराजी पर खातेदार घोषित कर राजस्व रिकार्ड में अंकन की डिक्री फरमावें।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी ने अपने जवाबदावे को ही बहस में शुमार करने की इस्तदुआ की।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक आद्योपान्त अवलोकन कर गहन अध्ययन किया तथा बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष पर गौर किया। वादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श–1 जमाबंदी 2059–62, गिरदावरी संवत् 2059 प्रदर्श–2, प्रदर्श–4 फर्द अहकाम, प्रदर्श–3 प्रपत्र–अ, प्रदर्श–5 खसरा सेटलमेन्ट, प्रदर्श–6 गिरदावरी सम्वत् 2010 से 2033, तक पेश किये। प्रतिवादी की ओर कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये।

पत्रावली पर निर्णय हम तनकीवार करना उचित समझते है।

<u>तनकी संख्या 1.</u>

"आया वादीगण खाता संख्या 39 नया 26 पुराना के खेत सर्वे नं. 221 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम पिपलोद पर वादीगण बापदादा के समय से काबिज होकर काश्त कर रहे है। व निम्नानुसार लगान अदा कर रहे है।

उक्त तनकी को प्रमाणित करने का भार वादीगण पर था। प्रमाण के रूप में वादीगण ने प्रदर्श–3 प्रपत्र अ, गिरदावरी संवत् 2010–33 प्रदर्श 6 पेश कि जिसमें चुन्नीलाल के साथ नरू वल्द माना, शिकमी, पुंजा वल्द माना, दिया वल्द पुंजा, अंकित है। लगान अदायग[illegible] में वादीगण द्वारा पेश नहीं की गयी जिसे गवाह दिनेश व कोयरी ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है। अतः उक्त तनकी आंशिक रूप से वादीगण के पक्ष में इस प्रकार निर्णित जाती है कि वे प्रश्नगत आराजी पर शिकमी के रूप में काश्तरत थे।

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2023.01.25 15:42:33 IST
Reason: SelfAttested

तनकी संख्या 2.

"आया वादग्रस्त खेत संवत् 1998 में वादीगण शिकमी काश्तकार होकर काबिज रहे है। तथा धारा–20(1) आर.टी.एक्ट में प्रकरण सं. 184/61 में आपसी तसफीया से वादीगण 1 से 3 दादा व 4 के पिता पुंजिया को खातेदारी अधिकार प्रदत्त हुए किन्तु रैवेन्यु रेकार्ड में इन्द्राज नहीं हुआ । वादीगण बाप दादा के समय से 50 वर्षो से अधिक समय से काबिज होने के कारण खातेदार घोषित होने के पात्र है।"

यह तनकी सिद्व करने का भार वादीगण पर था। वादीगण की ओर से प्रमाण स्वरूप प्रदर्श–3 व 4 क्रमशः आदेशिका व प्रपत्र–अ प्रस्तुत किया जिससे पूंजिया वल्द माना का शिकमी होना प्रमाणित है। अतः उक्त तनकी आंशिक रूप से वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 3.

"आया प्रतिवादीगण के खातेदारी अधिकार धारा 63(4) आर.टी.एक्ट में समाप्त हो चुके है व वादीगण प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है।"

यह तनक़ी सिद्व करने का भार वादीगण पर था। प्रमाण स्वरूप वादीगण द्वारा कब्जा प्राप्त करने का साक्ष्य मुआवजे की राशि चुकाने की रसीदे, लगान इत्यादि की रसीदे पेश नहीं की।

अतः उक्त तनकी वादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है

तनकी संख्या 4.

"वाद व्यवहार कारण वादीगण द्वारा जून 2004 पटवारी रिकार्ड देखने से उत्पन्न हुआ।"

उक्त तनकी वादीगण को प्रमाणित करनी थी। प्रमाण के रूप में वादीगण द्वारा जून 2004 में जारी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जो प्रश्नगत आरजी से संबंधित हो।

अतः यह तनकी वादीगण के विरूद्व निर्णित कर जाती है।

तनकी संख्या 5.

"आया सभी प्रतिवादीगण की मूत्यु दावा करने से पूर्व हो चुकी थी। प्रतिवादी नम्बर 1 से 6 के उत्तराधिकारियों को पक्षकार न बनाने से दावा काबिल खारजी है।"

यह तनकी प्रमाणित करने का भार प्रतिवादी पर था। प्रतिवादी ने प्रति. सं. 1 लगा. 6 की मूत्यु को प्रमाणित करने हेतु ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जो यह दर्शाता हो कि उनकी मूत्यु दावा संस्थित करने से पूर्व हुयी अथवा बाद में तथा उनके अधिक वारिसान है। इसका भी प्रमाण पेश नहीं किया ।

अतः यह तनकी प्रतिवादी कि विरूद्व निर्णित की जाती है

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2023.01.25 15:42:33 IST
Reason: SelfAttested

तनकी संख्या 6.

"आया अमित कुमार का जन्म भवानीशंकर के जीवनकाल में नहीं हुआ है अतः बपौती जायदाद में उसके अधिकार उत्पन्न नही होने है।

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

यह तनकी प्रतिवादी को प्रमाणित करनी थी। प्रतिवादी अमित कुमार के जन्म एवं मुल प्रतिवादीगण (1–6) के संबंध में कोई प्रमाणिक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहें।

अतः यह तनकी प्रतिवादी के विरूद्व निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 7. अनुतोष

उक्त तनकी का निर्णय समग्र विवेचना बाद किया जावेगा।

कायम तनकीयात पर निर्णय उपरान्त समग्र रूप से जाहिर होता है कि पुंजिया वल्द माना शिकमी काश्तकार था तथा धारा 20(1) आर.टी.एक्ट में प्रस्तुत वाद में बाबत् मुआवजा रेवाशंकर वादी के पक्ष निर्णित होकर शिकमी काश्तकार को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रलेखीय साक्ष्यों तथा मौखिक साक्ष्यों के वादीगण के पक्ष होने से वादी–वाद स्वीकार किया जाना धारा 19(1) राजस्थान टिनेन्सी अधिनियम के अधीन खातेदारी अधिकार उत्पन्न होने से उचित प्रतीत होता है।

निष्कर्षतः उक्त समग्र विवेचना एवं हस्तगत प्रकरण के गुणावगुण के आधार पर वाद धारा 19–1(a), 19(2), तथा उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा द्वारा निर्णित प्रकरण सं. 184/61 धारा 20(1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार स्वीकार किया जाना उचित है।

–::आदेश::–

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत आराजी खाता सं. 39 नया 26 पुराना खसरा नम्बर 221 रकबा 3–10 बीघा ग्राम पीपलोद पटवार क्षेत्र लोधा पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। तद्अनुसार डिक्री पर्चा जारी होकर निर्णय के साथ संलग्न हो ।

निर्णय मय डिक्री की सत्यप्रति तहसीलदार बांसवाड़ा को वास्ते नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अंकन हेतु प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

16/1/23

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2023.01.25 15:42:33 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमे की इब्तजाई

(आ. 20 नियम 17 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः उपखण्ड अधिकारी, मुकामः बांसवाडा व इजलासः प्रकाश चन्द्र रेगर(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 100/2004

उनवान मुकदमा

1. बापुड़ा पिता स्व. श्री दीपा जाति भील

2. स्व. बलिया पुत्र श्री दीपा जाति भील

2/1. गौतम पुत्र स्व. बलिया जाति भील

2/2/1. श्रीमती केसर पत्नी स्व.श्री गौतम जाति भील

2/3. हरिश पिता स्व. बलिया जाति भील

2/4. श्रीमती चौखी पत्नी स्व. बलिया जाति भील

3. स्व. कालु पिता श्री दीपा जाति भील

3/1. दिनेश पिता स्व. कालु जाति भील

3/2. मुकेश पिता स्व. कालु जाति भील

3/3.श्रीमती गंगा पत्नी स्व. कालु जाति भील

4. कोयरी पत्नी पूंजिया जाति भील

समस्त उम्र वयस्क निवासीयान पीपलोद तह0बांसवाड़ा। (वादीगण)

<u>बनाम</u>

1. स्व.चुन्नीलाल पिता प्रभुलाल चौबिसा

2. स्व. भवानीशंकर पिता प्रभुलाल चौबिसा

3. स्व. विश्वनाथ पिता हैतलाल

4. स्व. गंगाशरण पिता हिम्मतराम जी

5. स्व. गौरीशंकर पिता आन्नदराम जी

6. स्व. रेवाशंकर पिता आन्नदराम जी

समस्त जाति ब्राहाम्ण निवासी बांसवाड़ा के वारिस

1–6/1. अमित व्यास पिता चन्द्रशेखर व्यास जाति ब्राहाम्ण निवासी औदिच्यवाड़ा बांसवाड़ा (राज.)

(प्रतिवादी)

7. तहसीलदार बांसवाड़ा

<u>दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

<u>निर्णय</u>

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2023.01.25 15:42:33 IST
Reason: SelfAttested

दिनांकः– 16.01.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल [illegible] होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर आराजी खाता सं. 39 नया 26 पुराना खसरा नम्बर 221 रकबा 3–10 बीघा ग्रामं पीपलोद पटवार क्षेत्र लोधा पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। इस अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाडा (राज.)

नोज शून्य मुबलिग शून्य बाबत् शून्य खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह शून्य प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक शून्य का अदा करे।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक 16.01.2023 को जारी की गई।

16/1/23

(प्रकाश चन्द्र रेगर)
उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा

मुदई	रूपया पैसा	मुद्दवायलह	रूपया पैसा
स्टाप की अरजी दावा	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य
स्टाम्प वहज सबुत	शून्य	मेहनतनामा वकील	शून्य
मेहनतनामा वकील	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य
बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	मुतफरीक	शून्य
मुतफरीक	शून्य		शून्य
कुल	शून्य	कुल	शून्य

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2023.01.25 15:42:33 IST
Reason: SelfAttested